

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग

क्रमांक: पं 1(1)चिस्वा/गुप-2/2010

जयपुर, दिनांक 16.11.2010

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर प्रशासनिक कारणों से तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक एवं पद	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1	डॉ० नरेश जाटोलिया चि०अ० ईएनटी	जिला चिकित्सालय बून्दी	जिला प्रतापगढ़	रिक्त पद पर
2	डॉ० प्रतिभा जैन दन्त चि०अ०	एमबी चिकित्सालय उदयपुर	जिला प्रतापगढ़	रिक्त पद पर
3	डॉ० विनीत कुमार सिंघल चि०अ० शिशुरोग	सेटेलाईट अस्पताल हिरनमगरी उदयपुर	जिला प्रतापगढ़	रिक्त पद पर
4	डॉ० कृत्तल जैन गायत्री क०चि०	उप अधीक्षक टीबी सैनीटोरियम, उदयपुर	जिला प्रतापगढ़	रिक्त पद पर
5	डॉ० शरद गुप्ता निश्चेतन क०चि०	एम०एस०यू० उदयपुर	जिला प्रतापगढ़	रिक्त पद पर
6	डॉ० मुकेश जैन अस्थि क०चि०	सेटेलाईट अस्पताल हिरनमगरी उदयपुर	जिला प्रतापगढ़	रिक्त पद पर
7	डॉ० भीम कुमार चौरसिया क०चि० सर्जरी	जिला चिकित्सालय रामपुरा, कोटा	जिला प्रतापगढ़	रिक्त पद पर

नोट :-

- यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।
- स्थानान्तरित अधिकारी इस आदेश को ही अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्ति का आदेश भी समझें। पृथक से कोई कार्यमुक्ति आदेश जारी नहीं किया जावेगा।
- स्थानान्तरित अधिकारी अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 18.11.2010 को आवश्यक रूप से उपस्थिति प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें। सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इसकी पालना सुनिश्चित करवायेगे। सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित की जाकर अथवाहस्ताक्षरकर्ता को इस आशय से अवगत कराया जायेगा कि उनके क्षेत्राधिकार के अधीन समस्त स्थानान्तरित चिकित्सकों द्वारा दिनांक 18.11.2010 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,

—ह—
(आर. सी. डेनवाल)
शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/एम. एस. यू.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज.
6. संबंधित अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सामान्य चिकित्सालय
9. संबंधित अधिकारी।
10. कम्प्यूटर सेल
11. निजी/रक्षित पत्रावली
12. प्रभारी, सेट्टल सर्वर रूम, मुख्यालय।


शासन उप सचिव